WEB COPY NOT OFFICIAL

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

Criminal Miscellaneous No.27774 of 2015

Arising out of PS.Case No. -874 Year- 2014 Thana -SARAN COMPLAINT CASE District-SARAN

==========

Sudish Prasad, Son of Parameshwar Mahto, resident of village - Balaha Tola Anyay, P.S. Parasa, Distt. - Saran at Chapra

.... Petitioner

Versus

1. The State of Bihar.
2. Rinku Devi, wife of Sudish Prasad, D/o Devendra Mahto Resident of village - Kasmar, P.O. Rahimpur, P.S. Sonpur, Distt. - Saran at Chapra

.... Opposite Parties.

==========

Appearance :
For the Petitioner : Mr. Chandra Mohan Jha, Advocate.
For the State : Mr. B.Ram(App)

==========

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE SUDHIR SINGH
ORAL ORDER

5 22-12-2015 The present matter was referred to the Patna High Court Medication and Conciliation Centre for final settlement between the parties vide order dated 10.08.2015.

A report has been submitted by the Mediation Centre which is at Flag-'G'. From perusal of the report, it appears that the matter has been settled between the parties as per the terms and conditions mentioned in the said report which are as follows:-

"उपरोक्त दोनों पक्षों के बीच आज दिनांक 10.12.2015 को निम्नलिखित शर्तो पर आपसी समझौता एवंम् सुलह हुआ जिसमें दोनों पक्ष बिना किसी दबाव के अपने तन–मन की स्वस्थता में स्वीकार करते हैं:–

1. दोनों पक्षों में आपसी समझौता हो गया है। दोनों पक्ष मुकदमा लड़ना नहीं चाहते हैं एवम् लम्बित सभी मुकदमा को वापस लेंगे।

2. प्रथमपक्ष one time settlement के रूप में एकरार की हुई राशि रूपया 2,25,000/–(रूपया दो लाख पच्चीस हजार माात्र) द्वितीय पक्ष को बैंक ड्राफ्ट नं0–140828 दिनांक 08.12.2015, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया परसा, छपरा जो द्वितीय पक्ष रिंकू देवी उर्फ रिंकू कुमारी के द्वारा स्वीकार कर ली गई है।

3. यह कि द्वितीय पक्ष एवं प्रथम पक्ष जो भी मुकदमा एक दूसरे के विरूद्ध किए है वापस यथाशीघ्र ले लेंगे।

4. दोनों पक्ष इस बात से सहमत है कि आज दिनांक 10.12.2015 से दोनों पक्षों के बीच किसी प्रकार का सामाजिक या नैतिक अथवा कानूनी रूप से बन्धन नहीं रहेगा तथा दोनों पक्ष एक दूसरे से पूर्णतः मुक्त होते हुए स्वतंत्र जीवन व्यतीत करेंगे दोनों पक्ष इस बात के लिए सर्वथा तैयार है कि विवाह विच्छेद हेतु ये लोग हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 (B) के अन्तर्गत आवेदन परिवार न्यायालय में दाखिल कर विवाह विच्छेद करा लेंगे। इस मध्यस्थता में तय की गई राशि जो कुल 2,25,000/–(दो लाख पच्चीस हजार) है। यह हर तरह के भरण–पोषण (Permanent Alimony) के लिए देय है।

वर्णित राशि डिमान्ड ड्राफ्ट नं0–140828, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो रिंकू कुमारी के नाम से है को रिंकू कुमारी उर्फ रिंकू देवी (विपक्ष संख्या–2) को आज मध्यस्थता केन्द्र में सभी पक्षों एवं अधिवक्ताओं के समक्ष प्रदान किया जा रहा है। जिसे वो स्वीकार करती है।

(सुदीश प्रसाद)	(रिंकू देवी उर्फ रिंकू कुमारी)
प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर	द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर
एवं तिथि 10.12.2015	एवं तिथि 10.12.2015
Chandra Mohan Jha	Rajani Kumari

प्रथम पक्ष के अधिवक्ता का हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष के अधिवक्ता का हस्ताक्षर

A.O.R. No.05026 A.O.R. No.00432

दिनांक 10.12.2015 दिनांक 10.12.2015 ''

Since the matter has already been settled between the parties, the provisional bail granted to the petitioner vide order dated 10.08.2015 is hereby, confirmed.

Accordingly, the bail application is disposed of in the light of the report dated 10.12.2015.

U.K./-

(Sudhir Singh, J)

U		T	